न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13/2021 GCMS NO 2021/104

दायरा तिथि : 29.06.2021

आदेश तिथि : 01-9-2021

प्रार्थी :–

श्री प्रकाशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. विजयकुमार, मुकेशकुमार पिसरान् बाबूलाल जाति माली निवासी सादडी तह0 देसूरी
2. चुनाराम पुत्र लालाराम जाति राईका निवासी भीटवाडा तह0 बाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 01-9-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 353/1 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म जाव दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि मौजा भीटवाडा के खसरा नंबर 352/1476 रकबा 3.08 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नंबर 359 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 354, 354/1475 रकबा क्रमशः 0.88 हैक्टर, 1.13 हैक्टर किस्म जाव दोयम व चाही दोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से 20 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/1267 दिनांक 27.07.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 353/1 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म जाव दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी प्रकाशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा निवासी मुण्डारा तहसील बाली के नाम से दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। **मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ हैं।**

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	352/1476	3.08 हैक्ट.	बारानी अव्वल	120 X 06 = 720 वर्गमीटर	विजयकुमार पुत्र बाबुलाल 2/3 हि. सुरेशकुमार पुत्र बाबुलाल 1/3 हि. जाति माली निवासी सादडी
2	354	0.88 हैक्टर	जाव दोयम	50X 6 = 300 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
3	354/1475	1.13हैक्टर	चाही दोयम	48X 6 = 288 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि
योग	03	—	—	कुल 1208 वर्गमीटर	

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम भीटवाडा चाही भूमि की डी.एल.सी.दर 207180/– रूपये प्रति हैक्टर एवं बारानी भूमि की डी.एल.सी.दर 142020/– रूपये प्रति हैक्टर होना रिपोर्ट में अंकित किया।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है, तथा नही अन्य कोई भी क्षति होना बताया।

पेज लगातार 02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13/2021 GCMS NO 2021/104

अनवान प्रकाशकुमार बनाम विजयकुमार वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन आदिनांक तक अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी श्री संतोष शर्मा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री संतोष शर्मा ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये रास्ता दिलाये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ता जो कदीम से मौके पर है के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा के पत्रांकःराजस्व/2021/1267 दिनांक 27.07.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के पश्चात् प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 353/1 रकबा 157 हैक्टर किस्म जाव दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 01 की **खातेदारी भूमि एवं सिवायचक भूमि ग्राम भीटवाडा** के खसरा नंबर 352/1476, 354, 354/1475 **मे से कुल** 1208 **वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 207180/– व 142020/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
352/1476	3.08	120 X 06 = 720	14.20	10224X2=20448	विजयकुमार पुत्र बाबुलाल 2/3 हि. सुरेशकुमार पुत्र बाबुलाल 1/3 हि. जाति माली निवासी सादडी
354	0.88	50X 6 = 300	20.72	6216X2=12432	राजकीय सिवाय चक भूमि
354/1475	1.13	48X 6 = 288	20.72	5823X2=11645	राजकीय सिवाय चक भूमि
03	–	कुल 1208 व.मी.		44525/–रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **20448 (अक्षरे बीस हजार चार सौ अडतालीस)** रूपये अप्रार्थी संख्या–.01 को अदा की जावेगी एवं राशि 24077/– अक्षरे चौबीस हजार सित्तर रूपये राजकीय खाते आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अदा की जावेगी।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चिताता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2021/ 939 – 942 दिनांक 3-9-2021

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का भीटवाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रकाशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा नि. मुण्डारा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner